



Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-83/UP

Dated: 23/01/2017

To

All District/Sub Treasury Officers ✓

Sir,

Sub: Delinking of revised pension of pre- 01/01/2006 pensioners from 33 years of qualifying service –reg.

Ref: 1.SSA No.Pension/872 dated:21/10/2016 of The Accountant General(A&E)-II, Uttarpradesh.

2. OM No-22/2016/Gen-3-342/X-2016-308/97 T.C dated 05/07/2016 of Finance (General) Department, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copy of Resolution issued by the Finance (General) Department, Government of Uttar Pradesh regarding Delinking of revised pension of pre-01/01/2006 pensioners from 33 years of qualifying service and SSA regarding the same issued by The Accountant General(A&E)-II, Uttar Pradesh. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in). under the link:-“*Treasury endorsement of orders of other states*”. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

[Handwritten Signature]
Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

[Handwritten Signature]
Accounts Officer



111/DARA/83
18/11/16
336705
3/11/16
दिनांक/21/10/16
PM/2/536/2016-17
9/11/16

कार्यालय महालेखाकार (ले. व हक.)-II
20 सरोजिनी नायडू मार्ग उ.प्र. इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532- 2624402
पत्रांक:- पेंशन विविध/ 872
दिनांक-21-10-2016


सेवा में,

महालेखाकार (ले. व हक.)

Kerala

P.B. No - 5607

Thiruvananthapuram 695039



विषय:- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 22/ 2016/ सा-3-342/ दस- 2016-308/ 97 टी. सी. लखनऊ: दिनांक 05-07-2016 ।
दिनांक 01-01-2006 के पूर्व स पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अहंकारी सेवा स डी-लिक किया जाना ।

महोदय,

उत्तरप्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियों संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है ई उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारी/ पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर्ण का कष्ट करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करे ।

UP Root

To PIS Annex-5
1/1/16

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी/ पेंशन विविध

Pi-1/1/16-6-Engl
1/1/16

Office of the Principal Accountant General (A&E)-II
20 Sarojini Naidu Marg, U.P. Allahabad
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402
Letter No:- Pension Miscellaneous/872
Dated 21.10.2016

To

The Accountant General(A&E), Kerala
P.B. No.-5607
Thiruvananthapuram-695039

Sub : Finance (General) Section - 3, G O No. 22/2016/Gen-3-342/X-2016-308/97 T. C.
Lucknow, dated 05-07-2016. Delinking of revised pension of pre 01-01-2006
pensioners from 33 years of qualifying service.

Sir,

Copies of above orders issued by Uttar Pradesh, Department of Finance are being sent enclosed herewith.

You are requested that after circulating the above orders to all Treasury Officers, Pension Payment Officers under your jurisdiction, kindly give direction for taking action as per rules and may kindly be forwarded to this office also.

Enclosed :- As above

Yours Faithfully

Sd/-
Accounts Officer/Pension Miscellaneous

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-22/ 2016/ सा-3-342/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : 05 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- दिनांक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी-लिंक किया जाना।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा- 3- 1515/ दस- 2008- 308/ 97, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-4(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों की दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि, सेवानिवृत्ति के समय उसके वेतनमान के प्रतिस्थापन पे-बैण्ड के न्यूनतम तथा ग्रेड-पे के योग के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी परन्तु जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो, ऐसे मामलों में न्यूनतम पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/- प्रति माह से कम नहीं होगी।

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/ दस-2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिका में उल्लिखित न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ का कार्यालय-ज्ञाप संख्या- सा - 3 - जी0 आई0 -02/ दस-2014-308/ 97, दिनांक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/ 2016- सा -3-75/ दस-2016-308/ 97, दिनांक 21-01-2016 द्वारा संशोधित की गयी है, के प्रस्तर-2 में भी इसी आशय का प्रतिबन्ध उल्लिखित है। दिनांक 19-07-2010 के कार्यालय-ज्ञाप के संलग्नक में अंकित दिनांक 01-01-2006 से न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ कार्यालय-ज्ञाप संख्या- सा -3- जी0 आई0 -02/ दस-2014-308/ 97, दिनांक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/ 2016-सा-3-75/ दस-2016-308/ 97, दिनांक 21-01-2016 द्वारा संशोधित की जा चुकी है।

--2/ -

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/ 37/ 08/ पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए), दिनांक 06-04-2016 के प्रस्तर-6 में यह व्यवस्था की गयी है कि "कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये पेंशन भोगियों की संशोधित समेकित पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति के समय 33 वर्ष से कम अर्हक सेवा होने के बावजूद, पेंशन को यथानुपात घटाए बिना निर्धारण तालिका (फिटमेंट टेबल) के अनुसार, संशोधन पूर्व वेतनमान के तदनुसूची वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड-पे (जहाँ लागू हो) में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।"

4- भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 06-04-2016 में दी गयी उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/ 16-सा-3-75/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0, दिनांक 21-01-2016 के संलग्नक में विभिन्न वेतनमानों के सम्मुख अंकित पुनरीक्षित न्यूनतम पेंशन की धनराशि में प्रो-रेटा कमी नहीं की जायेगी, भले ही पेंशनर की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण इस शासनादेश के संलग्नक में दिये उदाहरण द्वारा समझाया गया है।

5- शासनादेश संख्या-सा-3-1515/ दस-2008-308/ 97, दिनांक 08-12-2008 तथा तदविषयक अन्य उपरिसंदर्भित आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6- यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। इन आदेशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

7- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का संशोधन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1541/ दस-2008-308/ 97 टी0सी0, दिनांक 07-01-2009 की व्यवस्था अनुसार उस कोषागार द्वारा किया जायेगा जहां से पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है।

8- कृपया उपयुक्तानुसार कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक: यथोक्त।

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

--3/ -

शासनादेश संख्या- 22/ 2016/ सा-3-342(1)/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0, दिनांक 05 जुलाई, 2016
का संलग्नक

उदाहरण :

- (1) मान लिया जाये कि दिनांक 01-01-2006 के पूर्व कोई व्यक्ति दिनांक 31-12-2004 को रू0 10000-325-15200 के वेतनमान में रू0 15200 के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है। उसकी अर्हकारी सेवा 15 वर्ष की है तथा अन्तिम दस मासों की औसत परिलब्धियां रू0 15200 है। दिनांक 01-01-2005 को उस व्यक्ति की पेंशन रू0 3455 $(15200 \div 2) \times (15 \div 33)$ निर्धारित होगी। दिनांक 01-01-2006 को समेकन तालिका के अनुसार संशोधित पेंशन रू0 7809 होगी। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21-01-2016 की व्यवस्थानुसार रू0 10000-325-15200 के वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैंड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600 के सापेक्ष दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रू0 12600 है जिसे पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुपातिक रूप से कम कर दिये जाने पर अनुमन्य पेंशन रू0 5727 $(12600 \times 15 \div 33)$ होती है जो समेकन के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन रू0 7809 प्रति माह से कम है। अतः उस व्यक्ति की पुनरीक्षित पेंशन रू0 7809 प्रति माह ही रहेगी। अब प्रस्तावित व्यवस्था जिसमें न्यूनतम पेंशन की राशि में अनुपातिक कमी नहीं की जाती है, के अनुसार प्रकरण में दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य संशोधित पेंशन रू0 12600 हो जायेगी।
- (2) मान लिया जाये कि दिनांक 01-01-2006 के पूर्व कोई व्यक्ति दिनांक 31-12-2004 को रू0 10000-325-15200 के वेतनमान में रू0 15200 के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है। उसकी अर्हकारी सेवा 30 वर्ष की है तथा अन्तिम दस मासों की औसत परिलब्धियां रू0 15200 है। दिनांक 01-01-2005 को उस व्यक्ति की पेंशन रू0 6909 $(15200 \div 2) \times (30 \div 33)$ निर्धारित होगी। दिनांक 01-01-2006 को समेकन तालिका के अनुसार संशोधित पेंशन रू0 15616 होगी। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21-01-2016 की व्यवस्थानुसार रू0 10000-325-15200 के वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैंड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600 के सापेक्ष दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रू0 12600 है। इस प्रकरण में दिनांक 01-01-2006 को समेकित पेंशन की राशि न्यूनतम पेंशन से अधिक होने के कारण पेंशनर को रू0 15616 मासिक पेंशन प्राप्त होती रहेगी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-22/2016/सा-3-342(1)/दस-2016-308/97 टी0सी0, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 2- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर,
लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलीय, अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर
प्रदेश।
- 9- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 11- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।
- 12- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
- 13- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 14- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

--4/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

22/08/2016

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Delinking of revised pension of pre-01-01-2006 pensioners from 33 years of qualifying service – reg.

Provision has been made in Para-4(1) of OM No.-Gen-3-1515/X-2008-308/97 dated 08.12.2008, that the amount of pension of pre 01-01-2006 pensioners revised w.e.f. 01-01-2006, , shall not be less than fifty percent of the sum of minimum of replaced pay band of their pay scale and grade pay, at the time of retirement but in such cases where qualifying service is less than 33 years, pro rata reduction will be made in the amount of minimum pension, but in any condition it shall not be less than Rs.3500/- per month.

2- Amounts of minimum pension mentioned in the table enclosed with OM No.-Gen- dated 3-1358/X-2016-308/97 dated 19-07-2010 have been revised vide OM No.-3-G.E.-02/X-2014-308/97, dated 14-07-2014 and OM No.-4/2016-Gen-3-75/X-2016-308/97, dated 21-01-2016, and provision to this effect has also been mentioned in para-2 thereof. Amounts of minimum pension mentioned in the annexure to OM dated 19-07-2010 have been revised vide OM No.- Gen-3-G.E.-02/X-2014-308/97, dated 14-07-2014 and OM No.-4/2016-Gen-3-75/X-2016-308/97, dated 21-01-2016.

3- In para-6 of Government of India, OM-NO-38/37/08 P&PW(A), dated 06-04-2016 provision has been made that “the revised consolidated pension of pre-2006 retired pensioners, in spite of having qualifying service of less than 33 years at the time of their retirement, shall not be less than 50% of the minimum pay and grade pay in pay band (wherever applicable) corresponding to pre revised pay scale according to the fitment table, without making pro rata reduction in pension.

4- In continuation of the above, provision given in above OM No.-06-04-2016 of Government of India, decision has been taken by the state government that pro-rata reduction will not be made in the amount of revised minimum pension mentioned against different pay scales in the annexure to OM No.5/16-Gen-3-75/X-2016-308/97 T.C. dated 21-01-2016, even if qualifying service of the pensioner is less than 33 years. Under these orders, pension revision has been illustrated through the examples given in the annexure to this Government Order.

5- Government Order No-Gen-3-15/X-2008-308/97 dated 08-12-2008 and other above referred orders in this regard shall deemed to be revised to this extent.

6- This provision will be applicable with immediate effect. As a result of revision in minimum pension according to these orders, arrear will not be paid.

7- Under these orders, as per the provision of Finance (General), Section-3, GO No.Gen-3-1541/X-2008-308/97 T.C. dated 07-01-2009 revision of pension will be done by that Treasury from where the pensioner is receiving his pension.

8- Kindly ensure action as mentioned above.

Encl. : as above

Ajay Aggarwal
Secretary, Finance